न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 91/2023

अनवान :

1. अजीत कुमार पुत्र गोपीराम जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. मनोज कुमार पुत्र गोपीराम जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।

:– वादीगण

बनाम

1. गोपीराम पुत्र श्योदतराम जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
2. रीना पुत्री गोपीराम जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
3. दुर्गेशकुमारी पुत्री गोपीराम जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री गोपीराम जाति महाजन निवासी डाबड़ी तहसील भादरा।
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिए शाखा प्रबंधक डाबडी तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा डाबड़ी के खाता सं0 434/421 के खसरा सं0 23 की 6.3760है0, ख0सं0 78 की 4.8320 है0 की कुल 11.2080है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 गोपीराम के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 गोपीराम का नाम कलमजन कर वादी सं0 1 अजीत कुमार व वादी सं0 2 मनोज कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.2.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Preetam 13/02/24

(प्रीतम कुमार) I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner